झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान– सभा
पंचदश (बजट) सत्र
वर्ग– 01

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, सोमवार, दिनांक– 07 फाल्गुन 1945 (श0) / 26 फरवरी, 2024 (ई0) को झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0–	विभागों को भेजी गई सा0 संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06.
01–	ग0– 08	डॉ0 लम्बोदर महतो	ओ0पी0 निर्माण कराना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	19.02.2024
02–	म0– 01	श्री कमलेश कुमार सिंह	हवाई यात्रा प्रारंभ कराना।	मंत्रिमंडल सचि0 एवं निगरानी	18.02.2024
03–	क0– 05	श्री अमित कुमार यादव	समायोजन कराना।	कार्मिक, प्रशा0 सु0 तथा रा0	19.02.2024
04–	ग0– 01	श्री आलोक कुमार चौरसिया	भवन निर्माण कराना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	18.02.2024
05–	क0– 04	श्री जय प्रकाश भाई पटेल	जिला का दर्जा देना।	कार्मिक, प्रशा0 सु0 तथा रा0	19.02.2024
क' 06–	क0– 02	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी	पदास्थापना कराना।	कार्मिक, प्रशा0 सु0 तथा रा0	19.02.2024
ख' 07–	क0– 03	श्री ढुलू महतो	कार्रवाई करना।	कार्मिक, प्रशा0 सु0 तथा रा0	19.02.2024
08–	क0– 01	श्री कोचे मुण्डा	अनुमंडल बनाना।	कार्मिक, प्रशा0 सु0 तथा रा0	18.02.2024
09–	ग0– 05	श्री नवीन ज यसवाल	प्रशिक्षण कराना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	19.02.2024

'क'–कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापांक– 1272, दिनांक– 21.02.24 के द्वारा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग में स्थानांतरित।

'ख'–कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापांक– 1273, दिनांक– 21.02.24 के द्वारा खान् एवं भूतत्व विभाग में स्थानांतरित।

01.		02.	03.	04.	05.	06
10.	ग0–	10	श्री रामचन्द्र सिंह	नौकरी देना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	19.02.2024
11.	ग0–	02	श्री विनोद कुमार सिंह	मुआवजा देना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	18.02.2024
12.	वि–	01	श्री कमलेश कुमार सिंह	शाखा खोलना।	वित्त	18.02.202
13.	ग0–	03	श्री राज सिन्हा	भुगतान करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	18.02.2024
14.	ग0–	09	श्री अमित कुमार यादव	बर्खास्त करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	19.02.2024
15.	ग0–	06	श्री अमित कुमार मण्डल	समाधान कराना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	19.02.2024
16.	ग0–	07	श्री अमित कुमार मण्डल	विभागीय कार्रवाई करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	19.02.2024
17.	ग0–	04	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह	क्रियान्यवन कराना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	18.02.2024

राँची,
दिनांक– 26 फरवरी, 2024 (ई0)।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या– प्रश्न–02/20–..2897...../वि0स0, रांची, दिनांक–24/02/24

प्रतिः– झारखण्ड विधान–सभा के माननीय सदस्यगण/ मा0 मुख्यमंत्री/मा0 मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/माननीय नेता प्रतिपक्ष/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

25/02/2024
(संजय कुमार)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या– प्रश्न–02/20–..2897...../वि0स0, रांची, दिनांक–24/02/24

प्रतिः– माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/प्रभारी सचिव महोदय के निजी सहायक को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

25/02/2024
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या– प्रश्न–02/20–..2897...../वि0स0, रांची, दिनांक–24/02/24

प्रतिः– कार्यवाही शाखा/ वेबसाईट शाखा, जे0भी0एस0 टी0भी0 शाखा/ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

24/02/2024
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

सुभाष/

1

डॉ० लम्बोदर महतो, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–26.02.2024 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–08 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला के कसमार प्रखण्ड अंतर्गत खैराचातर में ओपी/थाना का निर्माण नहीं होने के कारण नक्सल प्रभावित एवं अति सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीणों को आये दिन चोरी डकैती आदि घटनाएं होती है तथा विधि व्यवस्था कार्यों के संधारण में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ;	स्वीकारात्मक।
2.	यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कसमार प्रखण्ड अंतर्गत खैराचातर में ओ०पी०/थाना का निर्माण कराना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कसमार प्रखण्ड अंतर्गत खैराचातर में ओ०पी० निर्माण करने हेतु भूमि चिन्हित करने के संबंध में पुलिस अधीक्षक, बोकारो द्वारा अंचलाधिकारी, कसमार को प्रतिवेदन भेजी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–03/वि०स०(ता०प्र०) –08–03/2024...1155.../ रॉंची, दिनांक– 25/02/2024ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2704/वि०स०, दिनांक–19.02.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री कमलेश कुमार सिंह, स०वि०स० द्वारा दिनांक–26.02.2024 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं०–म०–01 हेतु उत्तर सामग्री :–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2021 में केन्द्र सरकार के द्वारा क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना के तहत डालटनगंज (मेदनीनगर) से राँची व पटना के लिए हवाई यात्रा प्रारंभ करने की योजना प्रस्तावित है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पत्रांक–AAI/RCS/Jharkhand/2023/411, Date-09.06.2023 के द्वारा राज्य सरकार को सूचित किया गया कि डालटनगंज (चियाँकी) हवाई अड्डा को भारत सरकार की RCS UDAN-4.2 के तहत चिन्हित किया गया है, जिसमें M/s Aviation Connectivity & Infrastructure Developers Private Limited को 19 सीटर के विमान का संचालन डालटनगंज–राँची–डालटनगंज एवं डालटनगंज– पटना–डालटनगंज की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त के बावत हवाई अड्डा के विकास एवं संचालन हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है, जिसके पश्चात राज्य सरकार के पत्रांक–438, दिनांक–23.06.2023 द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से संयुक्त दल गठित करते हुए हवाई अड्डा के वर्तमान वस्तुस्थिति एवं आवश्यक कार्रवाई के संबंध में भौतिक निरीक्षण करने का अनुरोध किया गया जिसका प्रतिउत्तर अद्यावधि अप्राप्त है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित डालटनगंज (मेदनीनगर) से राँची व पटना के लिए हवाई यात्रा प्रारंभ करने की दिशा में दिनांक–30 जनवरी, 24 तक कोई कार्य नहीं हुए है ;	यथा उपरोक्त कंडिका–1 ।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार डालटनगंज (मेदनीनगर) से राँची व पटना के लिए हवाई यात्रा प्रारंभ करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	यथा उपरोक्त कंडिका–1 ।

झारखण्ड सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(नागर विमानन प्रभाग)

ज्ञापांक–ना०वि०–XIII-01/2024/145 /राँची, दिनांक–25/02/24

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०–प्र०–2605/वि०स०, दिनांक–18.02.2024 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/2/24.

(कैप्टन एस० पी० सिन्हा)
निदेशक, संचालन

03

माननीय स०वि०स० श्री अमित कुमार यादव द्वारा दिनांक–26.02.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या का–05 का उत्तर।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अन्तर्गत चलकुशा प्रखण्ड को कोडरमा जिला में शामिल करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विगत 10 वर्षों से अधिक समय से विचाराधीन है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि चलकुशा प्रखण्ड कोडरमा जिला में शामिल होने की सभी आहर्त्ता पूरी करता है;	प्रशासनिक इकाईयों के सृजन/पुनर्गठन के लिए संबंधित जिला के उपायुक्त के अनुशंसित प्रस्ताव पर प्रमण्डलीय आयुक्त की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् इसे प्रशासनिक इकाईयों के सृजन/पुनर्गठन हेतु गठित उच्चस्तरीय समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है। उक्त समिति की अनुशंसा के आलोक में प्रशासनिक इकाईयों के सृजन/पुनर्गठन के बिन्दु पर समीक्षोपरांत सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है। हजारीबाग जिलान्तर्गत चलकुशा प्रखण्ड को कोडरमा जिला में शामिल करने संबंधी प्रस्ताव प्रमण्डलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग, उपायुक्त, हजारीबाग एवं उपायुक्त, कोडरमा की अनुशंसा सहित प्राप्त है। उक्त प्रस्ताव पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रशासनिक इकाईयों के सृजन/पुनर्गठन पर विचार करने हेतु गठित उच्चस्तरीय समिति की बैठक की अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात् चलकुशा प्रखण्ड को कोडरमा जिला में शामिल करने के बिन्दु पर सरकार के द्वारा समीक्षोपरांत निर्णय लिया जा सकेगा।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में चलकुशा प्रखण्ड का समायोजन स्थानांतरण कोडरमा जिला में करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15/झा०वि०स०–15–04/2024 का०– 1395 /राँची, दिनांक– 23.02.24

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2702 दिनांक–19.02.2024 के प्रसंग में 250 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/02/2024
(आसिफ हसन)
सरकार के संयुक्त सचिव।

(4)

श्री आलोक कुमार चौरसिया, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–26.02.2024 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–01 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिले के चैनपुर प्रखण्ड स्थित पंचायत हुटार में पुलिस पिकेट एक सरकारी स्कूल से संचालित हो रहा है तथा अपना भवन नहीं होने के कारण जवानों को भी कठिनाई हो रही है;	अस्वीकारात्मक। वर्तमान में हुटार पुलिस पिकेट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में संचालित है।
2.	क्या यह बात सही है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से पंचायत हुटार में पुलिस का अपना भवन होना अतिआवश्यक है जिससे उन जवानों को सुरक्षित दृष्टिकोण से सुरक्षा करने में सहुलित मिल सके तथा अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन अच्छा से निभा सके;	सुरक्षा के दृष्टिकोण से हुटार पुलिस पिकेट का अपना भवन होना आवश्यक प्रतीत होता है।
3.	यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जवानो को हो रही कठिनाईयों को देखते हुए अपना पुलिस पिकेट भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	भूमि एवं बजटीय उपलब्धता के आलोक में विभाग निर्णय लेगा।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–03 / वि०स०(ता०प्र०) –08–01 / 2024 1157 / राँची, दिनांक– 25/02/2024ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2611 / वि०स०, दिनांक–18.02.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/2/24
सरकार के संयुक्त सचिव।

(5)

माननीय स०वि०स० श्री जय प्रकाश भाई पटेल द्वारा दिनांक–26.02.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या का–04 का उत्तर।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिलान्तर्गत बेरमो अनुमण्डल वर्षों से संचालित है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि बेरमो अनुमण्डल के अधीन प्रखण्ड–बेरमो, नावाडीह, चन्द्रपुरा, कसमार, जरीडीह, गोमियॉ, पेटरवार के नागरिकों को जिला मुख्यालय अत्यधिक दूरी रहने के कारण आवागमन एवं आवश्यक कार्यों के निष्पादन में घोर कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;	अस्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–2 में वर्णित प्रखण्डों के नागरिकों द्वारा सम्पूर्ण बेरमो अनुमण्डल को जिला का दर्जा देने हेतु कई वर्षों से आन्दोलन जारी है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बेरमो के नागरिकों के व्यापक हित में बेरमो अनुमण्डल को जिला का दर्जा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	जिला सृजन के लिए संबंधित जिला के उपायुक्त के अनुशंसित प्रस्ताव पर प्रमण्डलीय आयुक्त की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् इसे प्रशासनिक इकाईयों के सृजन/पुनर्गठन हेतु गठित उच्चस्तरीय समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है। उक्त समिति की अनुशंसा के आलोक में नये जिला सृजन के बिन्दु पर समीक्षोपरांत सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है। बेरमो अनुमंडल को जिला बनाने के संबंध में संबंधित जिले के उपायुक्त एवं प्रमण्डलीय आयुक्त, उत्तर छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग की अनुशंसा सहित प्रस्ताव अप्राप्त है।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15/झा०वि०स०–15–03/2024 का०– 1397 /राँची, दिनांक– 23.02.24

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2700 दिनांक–19.02.2024 के प्रसंग में 250 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/02/2024
(आसिफ हसन)
सरकार के संयुक्त सचिव।

07

श्री ढुलू महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–26.02.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–क0–03

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें किः–

<table>
<tr><th>क्र० सं०</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह बात सही है कि विगत 2021 से धनबाद जिला में बड़े पैमाने पर कायेले का अवैध खनन किया जा रहा है;</td><td rowspan="3">अस्वीकारात्मक।
वस्तुस्थिति यह है कि धनबाद जिलान्तर्गत खनिजों के अवैध खनन/परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम हेतु झारखण्ड सरकार, खान एवं भूतत्व विभाग के ज्ञापांक–563/एम0सी0, राँची, दिनांक–15.10.2005 द्वारा गठित टास्क फोर्स की समिति एवं कार्यालय स्तर से समय–समय पर औचक निरीक्षण किया जाता है तथा अवैध खनन /परिवहन/भंडारण के मामले पाये जाने पर खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957, The Jharkhand Mineral (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 एवं झारखण्ड लघु खनिज समानुदान नियमावली, 2004 (यथा संशोधित) के नियम 54 के तहत अवैधकर्त्ता के विरूद्ध कार्रवाई की जाती है।
विगत तीन वर्षों में कोयला खनिज के अवैध खनन/परिवहन एवं भंडारण के विरूद्ध की गई कार्रवाई की विवरणी निम्नवत् हैः–
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>दर्ज प्राथमिकी की संख्या</th><th>जप्त कोयला खनिज (टन में)</th><th>जप्त वाहनों की संख्या</th></tr>
<tr><td>2021–22</td><td>285</td><td>49377</td><td>332</td></tr>
<tr><td>2022–23</td><td>372</td><td>57375</td><td>395</td></tr>
<tr><td>2023–24 (माह जनवरी, 2024 तक)</td><td>254</td><td>9154</td><td>296</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>क्या यह बात सही है कि कोयला खनन के लिए कोयला माफियाओं द्वारा निजी रैयती जमीन पर अवैध खदान खोलकर कोयले का खनन कर रहे है;</td></tr>
<tr><td>3</td><td>क्या यह बात सही है कि अवैध कोयला खनन में माफिया, रैयत एवं स्थानीय पुलिस की सांठ–गाठ से राष्ट्रीय संपत्ति की लूट की जा रही है;</td></tr>
<tr><td>4</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अवैध कोयला खनन में लिप्त माफिया, रैयत एवं स्थानीय प्रशासन के विरूद्ध जाँच कर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?</td><td>यथा उपरोक्त</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांकः–वि०स०(तारा0)–10/2024 362 /एम०, राँची, दिनांकः–25·02·2024

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–2701 दिनांक–19.02.2024 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/2/2024

सरकार के संयुक्त सचिव

(8)

माननीय स०वि०स० श्री कोचे मुण्डा द्वारा दिनांक–26.02.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या का–01 का उत्तर।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिलान्तर्गत बानो प्रखण्ड वर्त्तमान सदर अनुमण्डल सिमडेगा के अन्तर्गत आता है जिसकी दूरी लगभग 60 कि०मी० है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि अनुमण्डलीय कार्य हेतु बानो के लोगों को सिमडेगा जाने–आने में काफी कठिनाई होती है, इसके साथ ही समय और पैसे की व्यर्थ बर्बादी होती है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि बानो प्रखण्ड से ही सटा हुआ कोलेबिरा प्रखण्ड का एक पंचायत लचरागढ़ स्थित है;	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कोलेबिरा प्रखण्ड के लचरागढ़ पंचायत को मिलाकर बानो प्रखण्ड को अनुमण्डल बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अनुमण्डल सृजन के लिए संबंधित जिला के उपायुक्त के अनुशंसित प्रस्ताव पर प्रमण्डलीय आयुक्त की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् इसे प्रशासनिक इकाईयों के सृजन/पुनर्गठन हेतु गठित उच्चस्तरीय समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है। उक्त समिति की अनुशंसा के आलोक में नये अनुमण्डल सृजन के बिन्दु पर समीक्षोपरांत सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15/ज्ञा०वि०स०–15–01/2024 का०– 1394 /राँची, दिनांक– 23.02.24

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2606 दिनांक–18.02.2024 के प्रसंग में 250 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/02/2024
(आसिफ हसन)
सरकार के संयुक्त सचिव।

09

श्री नवीन जयसवाल, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–26.02.2024 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–05 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि विज्ञापन सं०–01/16, दिनांक–15.05.2016 में कुल 771 गृह रक्षा वाहिनी के पद के लिए विज्ञापन निकाला गया था एवं दिनांक–28.01.2017 को चयन हेतु सभी उम्मीदवारों का लिखित एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित किया गया था;	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि जिस सफल उम्मीदवारों का नाम प्रथम मेधा सूची में रातु प्रखण्ड एवं बेड़ों प्रखण्ड की सूची में प्रकाशित किया गया था उसी सफल उम्मीदवारों का नाम द्वितीय मेधा सूची में नगड़ी प्रखण्ड एवं इटकी प्रखण्ड में प्रकाशित किया है;	अस्वीकारात्मक
3.	क्या यह बात सही है कि नगड़ी प्रखण्ड एवं इटकी प्रखण्ड के सफल उम्मीदवारों की प्रथम मेधा सूची एवं द्वितीय मेधा सूची में नाम प्रकाशित होने के बाद उनका मूल प्रमाण पत्र सत्यापन एवं थाना सत्यापन की प्रक्रिया किया गया है;	स्वीकारात्मक
4.	क्या यह बात सही है कि सारी प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद नगड़ी प्रखण्ड एवं इटकी प्रखण्ड के सफल उम्मीदवारों को छोड़कर कुल 653 उम्मीदवारों का चयन कर बुनियादी प्रशिक्षण कराने का निर्णय लिया गया है;	स्वीकारात्मक माननीय महाधिवक्ता, झारखण्ड द्वारा दिए गए परामर्श में उल्लेखित है कि 'In view of the order of the Hon'ble High Court dated 12-01-2023 passed in WP(S) No. 09 of 2023 that any appointment would be subject to the decision of the writ application is not an impediment in sending shortlisted 653 candidates for training. Shortlisted 653 candidates can be sent for training and regular duties may be assigned to them. However all the action taken would be subject to the outcome of the writ application.' तद्नुसार राँची जिला के सभी अभ्यर्थियों का नामांकन माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा पारित अंतिम न्यायादेश से आच्छादित होगा।
5.	यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नगड़ी प्रखण्ड एवं ईटकी प्रखण्ड के सफल उम्मीदवारों का भी अंतिम चयन कर बुनियादी प्रशिक्षण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक–150, दिनांक–18.01.2022 के द्वारा राँची जिला द्वारा प्रकाशित विज्ञापन सं–01/2016 (पत्रांक–818, दिनांक–15.03.2021 के माध्यम से प्राप्त मेधा सूची) के तहत नगड़ी/इटकी प्रखण्ड में गृह रक्षकों के नवनामांकन हेतु सम्पन्न हुए सम्पूर्ण प्रक्रिया/मेधा सूची को निरस्त किया गया है, क्योंकि नगड़ी एवं इटकी प्रखण्ड प्रकाशित विज्ञापन से आच्छादित नहीं था। अतः यह अस्वीकारनीय है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक – 07/वि०स०(ता०प्र०)–02/2024–.....1156...../ राँची, दिनांक– 25/02/2024 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2657/ वि०स०, दिनांक–19.02.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/2/24

सरकार के संयुक्त सचिव।

(10)

श्री रामचन्द्र सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–26.02.2024 को विधानसभा में पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–ग०–10 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि रामचन्द्र राम ट्रक चालक, जेलहाता मेदनीनगर की मृत्यु लोकसभा चुनाव मे लातेहार जिलान्तर्गत हेरहज के पास मतपत्र लाने के क्रम में उग्रवादियों द्वारा लगाये गये बारूदी सुरंग के विस्फोट होने से सुरक्षाकर्मी सहित हो गई थी जिसका काड सख्या– 28/96, दिनांक–07.05.1996 दर्ज है।	स्वीकारात्मक।
02	क्या यह बात सही है कि मृतक रामचन्द्र राम की पत्नी मानमती कुंअर द्वारा आश्रित पुत्र श्रवण कुमार को चतुर्थवर्गीय पद पर नौकरी हेतु आवेदन दिया गया है।	स्वीकारात्मक
03	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त वर्णित तथ्यों पर आरक्षी अधीक्षक, लातेहार के पत्रांक–343, सा0शा0, दिनांक–29.07.2013 के समीक्षोपरांत चतुर्थवर्गीय पद पर नियुक्ति हेतु समय–सीमा को क्षांत करते हुए गृह विभाग को रिर्पोट किया गया, परन्तु अभी तक उक्त प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ जिससे मृतक का पूरा परिवार वर्त्तमान में आर्थिक तंगी के कारण बिखराव की अवस्था मे है।	आंशिक स्वीकारात्मक उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक–493/स्था०, दिनांक–02.11.2013 द्वारा स्व० रामचन्द्र राम, ग्राम–जेलहाता, डालटनगज, पलामू के आश्रित पुत्र, श्री श्रवण कुमार, को चतुर्थ वर्ग के पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुआ था। विभागीय संकल्प /नियमावली के अनुसार अनुकम्पा नियुक्ति अनुमान्य नही होने के कारण विभागीय पत्रांक–2094, दिनांक–'04.03.20219 द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति अनुमान्य नहीं होने की सूचना उपायुक्त, लातेहार को दे दिया गया था।
04	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मृतक ट्रक चालक रामचन्द्र राम के आश्रित पुत्र श्रवण कुमार को चतुर्थ वर्ग पद पर नौकरी प्रदान करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नही तो क्यो ?	समेकित बिहार सरकार गृह (विशेष) विभाग के परिपत्र संख्या–1972, दिनांक–09.08.2000 द्वारा उग्रवादी हिंसा मे सामान्य नागरिकों के मृत्यु होने पर उनके आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान तत्काल प्रभाव से अर्थात दिनांक–09.08.2000 की तिथि से किया गया था। इसके पूर्व उग्रवादी हिंसा में सामान्य नागरिको की मृत्यु होने पर आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर सरकारी नौकरी देने का प्रावधान नहीं था। राज्य गठन के बाद निर्गत विभागीय संकल्प संख्या–2279, दिनाक–07.05.2003 द्वारा उग्रवादी हिंसा में राज्य के सामान्य नागरिको की मृत्यु होने पर अनुकम्पा के आधार पर सरकारी सेवा में नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, परन्तु यह प्रावधान भी राज्य गठन की तिथि अर्थात दिनांक–15.11.2000 से लागू है। इस प्रकार दिनांक–09.08.2000 के पूर्व के मामलों मे अनुकम्पा नियुक्ति की अनुमान्यता नहीं बनती है। अतः वर्ष 1996 में मृत स्व० रामचन्द्र राम के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर सरकारी नोकरी अनुमान्य नहीं है ।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–18/वि०स०(02)–01/2024–......1129...../राँची, दिनांक–...25/02/2024..

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं०–2705, दिनांक–19.02.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 25/2/24
सरकार के संयुक्त सचिव।

E:\Pintu Shahi Works File\Vidhan Sabha\तारांकित ग10.docx189

(11)

श्री विनोद कुमार सिंह, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–26.02.2024 को पुछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–ग–02 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि दिनांक–19 दिसम्बर, 23 को मंडलकारा, गिरिडीह में कैदी शनिचर तुरी (धनवार निवासी) और मंडल कारा, हजारीबाग में अरूण ठाकुर (मरकच्चो निवासी) की मृत्यु समय पर उचित उपचार के अभाव में हो गई ?	1) बंदी, शनिचर तुरी, पिता–स्व० लखन तुरी, सा०–अरखांगों, थाना–धनवार, जिला–गिरिडीह, दिनांक–14.09.2023 को केन्द्रीय कारा, गिरिडीह में प्रवेशोपरान्त कारा चिकित्सा पदाधिकारी, गिरिडीह के द्वारा उसका हेल्थ स्क्रीनिंग कराया गया। किसी भी गंभीर बीमारी से ग्रस्त नहीं पाया गया। कारा चिकित्सा पदाधिकारी, गिरिडीह द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार दिनांक–19.01.2024 के पूर्व मृत बंदी शनिचर तुरी के गंभीर बिमारी से संबंधित सूचना अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, गिरिडीह को नहीं दी गयी। दिनांक–19.01.2024 के प्रातः 8:25 बजे सूचित किया गया कि बंदी शनिचर तुरी का तबीयत खराब है, सदर अस्पताल, गिरिडीह भेजा जाना अतिआवश्यक है। फलतः कारा चिकित्सा पदाधिकारी, गिरिडीह के अनुशंसा पर प्रतिनियुक्त कारा सुरक्षा कर्मियों की अभिरक्षा में प्रातः 8:40 बजे सदर अस्पताल, गिरिडीह भेजा गया। जहाँ ईलाज के दौरान बंदी की मृत्यु हो गई। इस संबंध में कारा प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं कोताही नहीं बरती है। 2) बंदी अरूण ठाकुर द्वारा अपनी शारीरिक समस्या बताये जाने के उपरांत कारा चिकित्सक द्वारा अविलम्ब उसका प्राथमिकी ईलाज किया गया था एवं चिकित्सा परार्शानुसार/मेडिकल बोर्ड के अनुशंसानुसार ससमय बेहतर ईलाज हेतु उच्चतर संस्थान यथा 1. शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज, हजारीबाग एवं 2. रिम्स, राँची भेज दिया गया था। जहाँ ईलाज के दौरान बंदी की मृत्यु हो गई। बंदी अरूण ठाकुर को ससमय उपचार दिया गया था। बंदी के ईलाज के दौरान मृत्यु के दौरान के मामले में NHRC में Case No.

		36/34/12/2024-JCD लॉज किया गया है। साथ ही Judicial Magistrate द्वारा Judicial Enquiry करायी जा रही है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपचार में लापरवाही की जाँच और आश्रितों को मुआवजा देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यो ?	उपरोक्त कंडिका–01 में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक – 11 / वि०स०–01 / 2024.....1128...../ राँची, दिनांक– 25/02 /2024 ई०।

प्रतिलिपि :– 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–2612 / वि०स०, दिनांक–18.02.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/2/24
सरकार के संयुक्त सचिव

(12)

श्री कमलेश कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.02.2024 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–वि०–01 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र०	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिले के हुसैनाबाद प्रखण्ड के महुदंड क्षेत्र विस्तृत जन बहुल क्षेत्र है;	उपायुक्त, पलामू के पत्रांक–202, दिनांक–22.02.2024 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार महुदंड की जनसंख्या–1873 (एक हजार आठ सौ तिहत्तर) है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित महुदंड में पुलिस पिकेट की स्थापना है, परन्तु एक भी सरकारी बैंक का शाखा नहीं होने के कारण स्थानीय आमजनों एवं पुलिस कर्मियों को वित्तीय लेन देन के लिए लगभग 20 कि०मी० की परिधि से बाहर जाना पड़ता है;	महुदंड सुदूरवर्ती जंगल से घिरा हुआ क्षेत्र है। महुदंड क्षेत्र से 10 कि०मी० की दूरी पर लठेया में झारखण्ड राज्य ग्रामीण बैंक तथा मोहम्मगंज प्रखण्ड में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा अवस्थित है, जिसकी दुरी महुदंड से लगभग 07–08 कि०मी० है। इसके अतिरिक्त महुदंड में ग्राहक सेवा केन्द्र संचालित है, जिसके माध्यम से वहाँ के लोगों को बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध करायी जा रही है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पलामू जिले के हुसैनाबाद प्रखण्ड में महुदंड क्षेत्र में एक सरकारी बैंक का शाखा खोलने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग
(कोषागार एवं सांस्थिक वित्त निदेशालय)

ज्ञापांक:–0:8 / विधि को०(7)–01 / 2024: 72 **/ राँची, दिनांक:** 23/02/2024

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–2615 / वि0स0 दिनांक–18.02.2024 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/02/2024

अवर सचिव–सह–सहायक निदेशक।

Bidhan Sabha 2024

श्री राज सिन्हा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–26.02.2024 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–03 का उत्तर प्रतिवेदन –

क्र० सं०	प्रश्नकर्त्ता श्री राज सिन्हा, माननीय सदस्य झारखण्ड विधान सभा	उत्तरदाता श्री बन्ना गुप्ता, माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग
1	क्या यह बात सही है कि विगत वर्ष मानसून की अनिश्चितता के कारण धनबाद जिला के दस प्रखण्डों के 84 प्रतिशत धान खेत पूरी तरह सुखाड़ से प्रभावित हुए तथा धान की फसल बर्बाद हो गयी ;	आंशिक स्वीकारात्मक। विभागीय अधिसूचना संख्या–1291, दिनांक–31.10.2022 द्वारा गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखण्डों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, जिसमें धनबाद जिला के 10 प्रखण्ड शामिल हैं।
2	क्या यह बात सही है कि कृषि विभाग 9 अंचलों की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार द्वारा अन्य कई जिलों के साथ धनबाद को सूखा ग्रस्त जिला घोषित कर राहत पैकेज देने की घोषणा की गयी थी जिसके परिप्रेक्ष्य में धनबाद के 1.03 लाख रजिस्टर्ड किसान राहत राशि की आस लगाये बैठे ;	आंशिक स्वीकारात्मक। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), झारखण्ड, राँची के पत्रांक–542, दिनांक–24.02.2024 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि धनबाद जिला के सूखाग्रस्त 10 प्रखण्ड यथा–बाघमारा, बलियापुर, धनबाद, इग्यारकुंड, गोविंदपुर, कलियासोल, निरसा, पूर्वी टुंडी, टुंडी एवं तोपचांची के कुल 66,946 पात्र किसानों में से 52,857 पात्र किसानों को 18,50,00,000/– (अठारह करोड़ पचास लाख) रुपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है, शेष 14,089 पात्र किसानों का भुगतान प्रक्रियाधीन है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सुखा प्रभावित किसानों को अविलम्ब राहत राशि का भुगतान करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांक–07/विधायी(तारांकित)–05/2024–आ०प्र०–90/राँची, दिनांक–25/02/2024

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/02/24

(अमरेश कुमार नीरज)
विशेष कार्य पदाधिकारी

(14)

श्री अमित कुमार यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 26.02.2024 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग–09 की उत्तरसामग्री :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ए0सी0बी0) द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप में सरकारी कर्मचारियों तथा पदाधिकारियों को रंगे हाथ पकड़कर गिरफ्तार किया जाता है?	स्वीकारात्मक गिरफ्तारी के बाद संबंधित पदाधिकारी/कर्मी के प्रशासी विभाग को 24–48 घंटे के अन्दर गिरफ्तारी की सूचना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दे दी जाती है।
2	क्या यह बात सही है कि रंगे हाथ गिरफ्तार हुए कर्मचारी/पदाधिकारी कुछ दिनों के बाद जमानत पर आसानी से छूट जाते हैं और पुनः सेवा बहाल होने पर भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाते हैं।	रंगे हाथ गिरफ्तार हुए कर्मचारी/पदाधिकारी के विरूद्ध ब्यूरो द्वारा पर्याप्त साक्ष्य संकलित किया जाता है तथा ससमय उनके विरूद्ध आरोप पत्र दायर किए जाने की कार्रवाई की जाती है। अभियुक्त द्वारा जमानत हेतु माननीय न्यायालय में याचिका दायर की जाती है। दायर जमानत याचिका के विरूद्ध साक्ष्यों के साथ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा माननीय न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र दायर किया जाता है। अभियुक्त की जमानत याचिका पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाता है एवं उक्त के अनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाती है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लोक हित में भ्रष्टाचार पर पूर्णतः अंकुश लगाने के लिए उद्देश्य से गिरफ्तार किये गये कर्मचारियों/पदाधिकारियों को अविलम्ब बर्खास्त करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका 02 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखंड सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(निगरानी प्रभाग)

ज्ञाप संख्याः 02/नि0वि0/विधान सभा प्रश्न–01/2024...../रॉची, दिनांक...../

प्रतिलिपिः प्रभारी मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी प्रभाग), झारखंड, रॉची के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी प्रभाग), झारखंड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञाप संख्याः 02/नि0वि0/विधान सभा प्रश्न–01/2024.....308...../रॉची, दिनांक 25.02.2024

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0प्र0 2703 दिनांक 19.02.2024 के प्रसंग में 200 प्रति के साथ सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

25.2.24

सरकार के अवर सचिव

(15)

श्री अमित कुमार मंडल, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–26.02.2024 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–06 का उत्तर प्रतिवेदन –

क्र० सं०	प्रश्नकर्त्ता श्री अमित कुमार मंडल, माननीय सदस्य झारखण्ड विधान सभा	उत्तरदाता श्री बन्ना गुप्ता, माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग
1	क्या यह बात सही है कि प्रधान सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, राँची झारखण्ड को मेरे कार्यालय पत्रांक–JH/R/79/23, दिनांक–25.11.2023 द्वारा विभिन्न समस्याओं जो गाण्डे विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत वर्षों से लंबित है के बारे में अवगत कराते हुए त्वरित समाधान हेतु पत्र प्रेषित किया गया है ;	स्वीकारात्मक।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित मेरे पत्र में प्रेषित बिन्दुओं का समाधान करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	माननीय स०वि०स० द्वारा प्रेषित पत्र के आलोक में अपर समाहर्त्ता, गोड्डा के पत्रांक–32, दिनांक–22.02.2024 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **निवेदन संख्या–1061/23, 910/23, 860/22, 855/22 एवं 839/22** का अनुपालन किया जा चुका है। **निवेदन संख्या–851/22** में वर्णित प्रखण्ड–बसंतराय, ग्राम–मेदिनीचक के स्व० नज्जो दास, पिता–मुकेश दास उनकी आश्रित पत्नी रीता देवी को मुआवजा राशि कुल 4,00,000/– रु० का भुगतान कर दिया गया है। ग्राम–वरण की स्व० जयमाला देवी के आश्रित के द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट समर्पित नहीं करने के कारण अभिलेख तैयार नहीं किया जा सका है। ग्राम–चिलकारा की स्व० पारो देवी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चिकित्सक के द्वारा सर्पदंश से मृत्यु का कारण संभवतः दर्ज किया गया है। Viscera report अभी तक अप्राप्त है। Viscera report प्राप्त हाने के उपरान्त नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। **निवेदन संख्या–825/22** का उत्तर प्रतिवेदन विभागीय पत्रांक–815, दिनांक– 10.11.2023 के द्वारा झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को प्रेषित कर दिया गया है। **निवेदन संख्या–786/22** में वर्णित विषय ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची से संबंधित है, जिसे गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक– 4804, दिनांक–16.11.2022 के द्वारा ऊर्जा विभाग को प्रेषित कर दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांक–07/विधायी(तारांकित)–06/2024–आ०प्र०– 88 /राँची, दिनांक– 23.02.2024

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/02/2024

(अमरेश कुमार नीरज)
विशेष कार्य पदाधिकारी

(16)

श्री अमित कुमार मण्डल, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.02.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–ग–07 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि विधान मंडल सदस्यों की गरिमा को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) के पत्रांक–982, दिनांक–19.08.2010 द्वारा विस्तृत दिशा निदेश सभी वरीय पुलिस अधीक्षक को दिया गया है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि मेरे पत्रांक–JH/R/01/24, दिनांक–09.01.24 द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची को खण्ड–1 में वर्णित दिशा निदेश का उल्लंघन करने वाले पदाधिकारी/कर्मी के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र प्रेषित होने बावजुद अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गई है,	इस संबंध में पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड, राँची द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के अनुसार पत्र में वर्णित तथ्यों की जाँच एवं दोषी पुलिस पदाधिकारियों को चिन्हित करने हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची का कार्यालय ज्ञापांक–660/गो०, दिनांक–18.01.2024 के माध्यम से पुलिस उपाधीक्षक हटिया, राँची से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी। पुलिस उपाधीक्षक, हटिया, राँची का कार्यालय ज्ञापांक–328 /24, दिनांक–11.02.2024 द्वारा प्रेषित जाँच प्रतिवेदन के अनुसार दिनांक–08.01.2024 की रात्रि राँची स्थित अरगोडा चौक में एन्टी क्राईम चेकिंग (स्टेटिक) ड्यूटी पर पु०अ०नि० सुबोध कुमार तैनात थे। रात्रि समय 10:20 बजे चेकिंग के दौरान एक काला रंग का बिना नम्बर प्लेट लगा हुआ स्कॉर्पियो वाहन को जाँच हेतु रोका गया। स्कॉर्पियो वाहन के चालक द्वारा पु०अ०नि० सुबोध कुमार से पूछा गया कि 'क्या बात है' जिस पर पु०अ०नि० सुबोध कुमार के द्वारा बताया गया कि एंटी क्राईम चेकिंग है, डिक्की खोल कर दिखायें। चालक द्वारा गाड़ी का डिक्की खोल कर दिखा दिया गया। तदोपरांत गाड़ी के अन्दर बैठे एक व्यक्ति द्वारा पु०अ०नि० से वरीय पुलिस अधीक्षक का मोबाईल नंबर की मांग की गई, जिस पर पु०अ०नि० सुबोध कुमार द्वारा उन्हें मोबाईल नम्बर उपलब्ध कराने के बजाय कहा गया कि ये तो आपको रखना चाहिए। यह व्यवहार पु०अ०नि० सुबोध कुमार का गैर जिम्मेदाराना बर्ताव का परिचायक है। वाहन में बैठे व्यक्ति जनप्रतिनिधि विधायक हैं, की जानकारी होने के बाद भी पु०अ०नि० सुबोध कुमार, अरगोड़ा थाना द्वारा उग्रता के साथ बकवास करने, अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किये जाने के लिए इन्हें दोषी पाते हुए इनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई किये जाने की अनुशंसा पुलिस

		उपाधीक्षक, हटिया, राँची के द्वारा उनके जाँच प्रतिवेदन में किया गया है। पुनः वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची का कार्यालय ज्ञापांक–2403/गो०, दिनांक–14.02.2024 के माध्यम से पु०अ०नि० सुबोध कुमार, अरगोडा थाना, राँची से विभागीय कार्यवाही चलाने के विरूद्ध स्पष्टीकरण की मांग की गई है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त खण्डों के आलोक में विभागीय कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त खण्ड–2 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–14/वि०स०–03/2024–........1132......../ राँची, दिनांक–...25/02.../2024 ई०।

प्रतिलिपिः–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–2656, दिनांक–19.02.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/2/24

सरकार के संयुक्त सचिव।

(17)

श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–26.02.2024 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–04 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत (1) पुलिस केन्द्र धनबाद में 500 बेड का बैरक, कार्यालय भवन, शौचालय, चाहरदीवारी, मेन गेट का निर्माण सहित ग्राउण्ड का सौदर्यीकरण कार्य (2) पाथरडीह, सुदामडीह, भौंरा, तिसरा में मॉडल थाना भवनों का निर्माण कार्य तथा (3) लोदना ओ०पी०, धनुआडीह ओ०पी०, बोर्रागढ़ ओ०पी०, गोशाला ओ०पी०, अलकडीहा ओ०पी० के जर्जर भवनों के निर्माण कार्य हेतु डी०पी०आर० झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लि०, राँची के द्वारा पुलिस मुख्यालय को भेजी गई है ;	अस्वीकारात्मक। पाथरडीह, सुदामडीह, भौंरा, तिसरा थाना भवनों तथा लोदना ओ०पी० धनुआडीह ओ०पी०, बोर्रागढ़ ओ०पी०, गोशाला ओ०पी०, अलकडीहा ओ०पी० के भवनों के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित पुलिस केन्द्र थाना व ओ०पी० भवनों की जर्जर स्थिति के कारण क्षेत्र में बेहतर पुलिसिंग सेवा बहाल होने में कठिनाई हो रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित योजनाओं के क्रियान्वयन का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	खण्ड–1 में वर्णित जिन योजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध है अथवा भूमि उपलब्ध होने के उपरांत उनका क्रियान्वयन आगामी वित्तीय वर्ष में प्राप्त बजट के अनुरूप कराया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–03 / वि०स०(ता०प्र०) –08–02 / 2024–1154 / राँची, दिनांक– 25/02/2024 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2614 / वि०स०, दिनांक–18.02.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/2/24
सरकार के संयुक्त सचिव।